(सुवीर सहगल, जे.)

सुवीर सहगल जे. के समक्ष

महेंद्र कुमार - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य - प्रतिवादीगण

2021 का सी. आर. एम.-एम No.48694

22 नवंबर, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 323 और 506-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012-धारा 10-एक समझौते के आधार पर एक प्राथमिकी को रद्द करना-खारिज कर दिया गया-आयोजित, एक समझौते के आधार पर जघन्य अपराध की प्राथमिकी को रद्द करना पॉक्सो अधिनियम के पीछे की भावना के खिलाफ है-समझौते के शपथ पत्र के लहजे और अवधि से पता चलता है कि इसे केवल याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से निष्पादित किया गया था क्योंकि पीड़ित याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी थी।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता, जो शिकायतकर्ता का पति है, के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और गंभीर हैं। शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में शराब के प्रभाव में अनुचित तरीके से छूने और लड़कियों का यौन शोषण करने का प्रयास करने का विशिष्ट उदाहरण दिया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता पर याचिकाकर्ता के साथ समझौता (अनुलग्नक पी-2) करने का आरोप है, जो उसके शपथ पत्र (अनुलग्नक पी-3) द्वारा समर्थित है, लेकिन शपथ पत्र के लहजे और अवधि से पता चलता है कि इसे केवल याचिकाकर्ता, जो हिरासत में है, को जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से निष्पादित किया गया है। शिकायत में कथित घटनाओं से कोई इनकार नहीं है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।आरोपों की चौंकाने वाली प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, क्योंकि उनमें एक नाबालिग लड़की शामिल है, जो याचिकाकर्ता की बेटी है, इसलिए प्राथमिकी को समझौते के आधार पर रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसकी वास्तविकता और सच्चाई संदिग्ध है।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता की ओर से - अधिवक्ता गौतम कैले

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए महिमा यशपाल, डीएजी, हरियाणा

शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से - अमृत कश्यप, अधिवक्ता और अरविंद कश्यप अधिवक्ता

सुवीर सहगल, जे.

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 के तहत तत्काल याचिका दायर की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के समझौता विलेख दिनांक 16.09.2021 (अनुलग्नक पी-2) और शपथ पत्र दिनांक 16.09.2021 (अनुलग्नक पी-3) को ध्यान में रखते हुए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की खंड 10 (संक्षिप्त में "पॉस्को अधिनियम") और भारतीय दंड संहिता 1860 की खंड 323,506 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 0054 दिनांक 02.04.2021, महिला पुलिस स्टेशन यमुनानगर, जिला यमुनानगर को रद्द करने की मांग की गई है।

(2) पक्षों के वकील को सुना गया।

(3) शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन पर उसके पति, वर्तमान याचिकाकर्ता महिंदर कुमार के खिलाफ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने और अपनी बेटियों के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करने के लिए प्राथमिकी (अनुलग्नक पी-1) दर्ज की गई है।शिकायत में कहा गया है कि याचिकाकर्ता नशे का आदी है और सुमन के साथ उसके व्यभिचार संबंध हैं।याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से हमला कर रहा है और शिकायतकर्ता को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है और अपने बच्चों को भी मारता है।शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी दो बेटियां शादीशुदा हैं और याचिकाकर्ता ने छोटी बेटी एनएक्सएक्सएक्स (नाम नहीं रखा गया) के साथ छेड़छाड़ की है, उसे अनुचित तरीके से छुआ है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की है।शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह छोटी बेटी को धमकी दे रहा है और उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने से मना कर रहा है। 23.03.2021 पर, याचिकाकर्ता नशे की हालत में घर आया, शिकायतकर्ता को गाली देना शुरू कर दिया और उसका गला घोंटने की कोशिश की। जब उसकी बड़ी बेटी ने उसे बचाने की कोशिश की, तो याचिकाकर्ता ने उसकी बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने बेटी को याचिकाकर्ता के चंगुल से बचाया, जिसने उन पर हमला किया और शिकायतकर्ता को लात मारी।हंगामा सुनकर पड़ोसी उनकी मदद के लिए आगे आए।उन्होंने एक वाहन की व्यवस्था की और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता का अपनी बेटियों के संबंध में गलत इरादा है।

(4) याचिकाकर्ता, जो शिकायतकर्ता का पति है, के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और गंभीर हैं। शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में शराब के प्रभाव में अनुचित तरीके से छूने और लड़कियों का यौन शोषण करने का प्रयास करने का विशिष्ट उदाहरण दिया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता पर याचिकाकर्ता के साथ समझौता (अनुलग्नक पी-2) करने का आरोप है, जो उसके शपथ पत्र (अनुलग्नक पी-3) द्वारा समर्थित है, लेकिन शपथ पत्र के लहजे और अवधि से पता चलता है कि इसे केवल याचिकाकर्ता, जो हिरासत में है, को जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से निष्पादित किया गया है।

शिकायत में कथित घटनाओं का कोई खंडन नहीं है। जिसके आधार परप्राथमिकी दर्ज की गई है।आरोपों की चौंकाने वाली प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, क्योंकि उनमें एक नाबालिग लड़की शामिल है, जो याचिकाकर्ता की बेटी है, इसलिए प्राथमिकी को समझौते के आधार पर रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसकी वास्तविकता और सच्चाई संदिग्ध है।

(5) **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य**[1] में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

> "15.1.संहिता की खंड 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से अलग किया जाना है जो संहिता की खंड 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए न्यायालय में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की खंड 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है जो समझौता योग्य नहीं हैं, जहां पक्षों ने अपने बीच मामले को सुलझा लिया है।हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
>
> (1) जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक सुरक्षित करना होगाः
>
> (i) न्याय का अंत, या
>
> (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर एक राय बनानी होती है।
>
> (2) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हैं। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून के तहत किए गए कथित अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।"

(6) सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा खंड 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करके जघन्य अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही दलों के बीच में समझौता

---

1 (2019) 5 एस सी सी 688

किया गया हो। इसके अलावा, प्राथमिकी को रद्द करने की अनुमति देना पॉक्सो अधिनियम के पीछे की भावना के खिलाफ होगा, जिसे कम उम्र के बच्चों को दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए शामिल किया गया है।

(7) याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर कही गई किसी भी बात को मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ कर और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रमाणित द्वारा:

संजय जैन (अनुवादक)

जिला एवं सत्र न्यायालय,पानीपत